कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अ ज मे र

क्रमांक / स्था. / 2023 / 01 दिनांक 25/1/2023

::विज्ञप्ति::

अजमेर न्यायक्षेत्र में वर्तमान में लिपिक ग्रेड–II के 108 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के 243 पद रिक्त हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक G/IA-4 (i)(a)/55/16/36 दिनांक 17.01.2023 के अनुसार उक्त रिक्त पदों पर न्याय विभाग / राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कार्मिकों के संविदा पर अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / PSUs के कार्मिकों से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राथमिकता के क्रम में निम्न प्रकार से ली जानी है:–

मंत्रालयिक संवर्ग हेतुः–

1. न्याय विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण Hire करके इनके उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण को Hire करके।
2. राज्य सरकार के अन्य विभागों / PSUs से Deputation or Reserve Deputation पर उपलब्ध कर्मचारीगण की सेवाएं।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतुः–

1. न्याय विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण Hire करके इनके उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण को Hire करके।
2. राज्य सरकार के अन्य विभागों / PSUs से Deputation or Reserve Deputation पर उपलब्ध कर्मचारीगण की सेवाएं।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा। कर्मचारीगण का चयन उक्त वर्णित प्राथमिकता के क्रम में किया जावेगा।

Deputation or Reserve Deputation पर आने वाले कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेंगे।

न्याय विभाग / राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है वे कर्मचारीगण विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त दोनों संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों / निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं अजमेर न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित संवर्गों में सेवाएं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 04.02.2023 तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकृ पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर 25-1-23

क्रमांकः 3360 - 3436 दिनांकः 25/1/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
4. जिला कलक्टर, अजमेर को समस्त विभागों / PSUs में सूचित करने हेतु प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा की गई समस्त कार्यवाही से इस कार्यालय को दिनांक 01.02.2023 तक अवगत करावें।
5. अजमेर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु संबंधित न्यायालय
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर को अखबार में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, अजमेर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश

कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अ ज मे र

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में संविदा)
पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1.	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	:	....
2.	पिता/पति का नाम	:	....
3.	जन्म तिथि	:	....
4.	पता	:	....
5.	आयु (दिनांक 04.02.2023 को)	:	वर्ष..........माह..........दिन..........
6.	अर्हताएं	:	....
7.	मूल विभाग का नाम	:	....
8.	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद	:	....
9.	अनुभव	:	....
10.	सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे एवं पे मेट्रिक्स व लेवल संख्या (एल.पी.सी. संलग्न है)	:	....
11.	मूल पेंशन राशि (पी.पी.ओ. प्रति संलग्न है)	:	....
12.	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का वेतनमान	:	....
13.	विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)	:	....

सेवानिवृत्ति कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अद्योहस्ताक्षरकर्ता राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमति है और वचन देता है।

स्थानः सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारुप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती.............................. पुत्र/पत्नी..................जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..................की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभयर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती ....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती.............................. अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती.............................. के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील